न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव

पीठासीन अधिकारी – श्री प्रतापसिह , आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
अमराराम पुत्र आम्बाराम उम्र 62साल जाति कुम्भार निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शिव जिला बाड़मेर		तहसीलदार, शिव

राजस्व वाद संख्या :– 54 /2019

वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88 राज0 का0 अधिनियम

उपस्थिति : 1. श्री बृजमोहन कुमावत वकील वादी ।

अंतिम डिक्री दिनांक 19–08–2019

संक्षिप्त में वादी के वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल मुंगेरिया तहसील **शिव** में स्थित भूमि खसरा नं0 221, 371/216, 372/222 रकबा क्रमशः 51.08, 15.15, 3.19 बीघा भूमि मे वादी का 1/9 हिस्सा व इसी ग्राम के अन्य खसरा नम्बर 66 रकबा 115 बीघा भूमि मे वादी का 1/3 हिस्सा होने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत वाद पत्र पेश कर वादी ने राजस्व रेकर्ड मे अपने पिता आम्बा पुत्र गोगल की फौतगी पर विरासती नामान्तरकरण भरते समय वादी का नाम शेराराम उर्फ अमराराम पुत्र आम्बाराम लिख दिया जिसके स्थान पर अब वादी ने अपना शुद्ध नाम अमराराम पुत्र आम्बाराम खातेदारी मे पुनः घोषित करवाने का निवेदन किया है।

वादी का वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादी तहसीलदार शिव को जरिये समन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी ने अपना जबाब पेश किया। वादी ने अपने वाद पत्र के साथ अन्य दस्तावेज क्रमशः आधार कार्ड, पेन कार्ड, सर्विस रेकर्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र वगैरा साथ पेश किये हैं जिसमे वादी का नाम अमराराम पुत्र आम्बाराम अंकित हैं परन्तु राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम शेराराम उर्फ अमराराम पुत्र आम्बाराम अंकित हैं जिससे राजस्व रेकर्ड मे आधार लिंक करवाने व अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने से वादी वंचित रह जाता है। राजस्व रेकर्ड एवं वादी के नाम से बने अन्य दस्तावेजो मे वादी एकरुपता रखते हुए शेराराम उर्फ अमराराम पुत्र आम्बाराम के स्थान पर अमराराम पुत्र आम्बाराम घोषित करवाना चाहता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई हमने पत्रावली का गम्भीरता से अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो के अवलोकन के बाद वादी का वाद अंतिम रुप से स्वीकर किया जाकर मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल मुंगेरिया तहसील **शिव** में स्थित भूमि खसरा नं0 221, 371/216, 372/222 रकबा क्रमशः 51.08, 15.15, 3.19 बीघा भूमि मे वादी का 1/9 हिस्सा व इसी ग्राम के अन्य खसरा नम्बर 66 रकबा 115 बीघा भूमि मे वादी का 1/3 हिस्सा भूमि मे वादी के गलत नाम शेराराम उर्फ अमराराम पुत्र आम्बाराम के स्थान पर अमराराम पुत्र आम्बाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम दुरस्ती का नामान्तरकरण भरे। डिकी पर्चा मुर्तिब हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर (SDO) शिव
शिव, जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर (SDO) शिव
शिव, जिला बाड़मेर

Scanned by CamScanner

डिकरी–पर्चा

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिह आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 55/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादी
अमराराम पुत्र आम्बाराम उम्र 62 वर्ष निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील शिव जिला बाड़मेर।		तहसीलदार शिव

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– बृजमोहन कुमावत एडवोकेट वादी की ओर से।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री अमराराम जरिये श्री बृजमोहन कुमावत एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है। कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा लक्ष्मीपुरा तह. शिव के खाता सं. 39 खसरा नम्बर 221, 371/216, 372/222 रकबा क्रमशः 51.08, 15.15, 3.19 बीघा व खसरा नम्बर 66 रकबा 115 बीघा भूमि मे वादी का अशुद्ध नाम शेराराम उर्फ अमराराम पुत्र आम्बाराम के स्थान पर अमराराम पुत्र आम्बाराम के नाम अंकन की घोषणा की जाती है। तहसीलदार शिव को आदेश दिये जाते है कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार वादी के नाम दुरस्ती का नामांतरकरण खोलकर बाद जांच तस्दीक करे।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.08.2019 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO)
शिव, जिला बाड़मेर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		
	3.00				

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:00:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: